विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2025 (बुधवार) को सरदार पटेल भवन स्थित, गृह विभाग, बिहार, पटना के कॉन्फ्रेन्स हॉल में सम्पन्न बैठक (Minutes of Proceeding) की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार	–	महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो।
2.	श्री पंकज कुमार दराद	–	अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई।
3.	श्रीमती अंजु सिंह	–	संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस उप–महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, विधि पदाधिकारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो व विशेष निगरानी इकाई एवं पटना स्थित न्यायालय में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक सदेह एवं मुजफ्फरपुर व भागलपुर में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम, संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा बैठक में भाग ले रहे सभी उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् माह सितम्बर, 2025 से माह नवम्बर, 2025 तक विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों में हुई प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की गयी :–

1. **विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, मुजफ्फरपुर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में विचारण हेतु लंबित वादों की समीक्षा की गई।

श्री कृष्ण देव साह, विशेष लोक अभियोजक के पास लंबित वादों की संख्या 196 है। विगत तीन महीनों में केवल 3 मामले निष्पादित हुए है, जिनमें से दो वादों में अभियुक्त की मृत्यु के कारण वाद समाप्त (Proceeding drop) हुआ है तथा तीसरे वाद में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बनाने का आधार न पाते हुए उन्मोचित (Discharge) कर दिया गया है, उससे संबंधित लिखित विवरणी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भेजे जाने की सूचना श्री कृष्णदेव साह द्वारा दिया गया। अपर मुख्य सचिव द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को लिखित विवरणी प्राप्त होने पर विवेचना कर विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

श्री विकास नारायण सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक के पास लम्बित वादों की संख्या 147 है। आलोच्य तिमाही में कुल दो वादों के निष्पादन हुआ है। एक वाद में अभियुक्तों को भगोड़ा (Absconder) घोषित किया गया है एवं एक अन्य वाद अभियुक्त की मृत्यु के आधार पर Proceeding drop हुआ है। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भगोडा (Absconder) घोषित किए गए अभियुक्त के नाम सहित अन्य विवरणी Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं उक्त की सूचना प्रतिवेदन में अंकित करने के साथ–साथ लोक सेवक के **प्रशासी विभाग** को भी प्राप्त करा दिए जाने का निदेश दिया गया। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा लम्बित वादों की संख्या में कमी लाए जाने हेतु विशेष रूप से प्रयास करने का निदेश दिया गया। श्री सिन्हा द्वारा फरवरी, 2026 में एक वाद के परिपक्व (Mature) हो जाने की आशा व्यक्त की गयी।

संयुक्त सचिव (विधि) ने वर्ष 2010 के पूर्व के वादों की सूची बनाने तथा उक्त सूची के वादों का निष्पादन होने की संभाव्यता का परीक्षण करते हुए अधिक संभाव्यता के वादों पर यथाशीघ्र साक्ष्य, गवाही आदि प्रस्तुत किए जाने का निदेश दिया। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने ऐसे वादों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए यह आश्वस्त किया कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

Scanned with CamScanner

श्री मनोज कुमार, विशेष लोक अभियोजक को आवंटित वादों में से पिछले तीन माह में कुल तीन वादों के निष्पादन के पश्चात् वर्तमान में 123 वाद लम्बित हैं। निष्पादित तीनों वाद में अभियुक्त की मृत्यु के कारण कार्यवाही बंद हो जाने के फलस्वरूप (Proceedings Dropped) की गई।

लंबित वादों की अधिक संख्या एवं निष्पादित वादों की अत्यल्प संख्या होने तथा किसी भी वाद के गुण–दोष के आधार (Merit) पर निष्पादित नहीं होने पर संयुक्त सचिव (विधि) एवं महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निराशा व्यक्त की गयी।

राज्यसात् संबंधी वादों की समीक्षा के क्रम में श्री कृष्णदेव साह, विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि उनके पास अधिहरण के 21 वाद एवं विचारण के भी 21 वाद लम्बित हैं। वादों के निष्पादन नहीं होने और लम्बित वादों की संख्या में वृद्धि होते जाने पर संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा निराशा व्यक्त की गयी। श्री साह ने बताया कि गवाहों की उपस्थिति हेतु अधियाचना भेजी गयी है, किन्तु गवाही की उपस्थिति नहीं करायी गयी है।

संयुक्त सचिव (विधि) ने निदेश दिया कि गवाही हेतु प्राप्त अधियाचना एवं उक्त पर की गयी कार्रवाई के संबंध में एक प्रतिवेदन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मार्च, 2026 तक एक अधिहरण वाद एवं एक ऐसे विचारण वाद जिसमें अधिहरण की कार्रवाई की जा चुकी हो, प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का प्रयास किया जाय।

श्री अरुण कुमार चौधरी, विशेष लोक अभियोजक के पास अधिहरण के 08 एवं विचारण के 04 वाद लम्बित हैं। श्री चौधरी ने बताया कि 04 वादों में Discharge Petition दाखिल किया गया है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि अनुसंधान पदाधिकारी की गवाही हो जाने के उपरांत उक्त वाद में अन्य गवाहों की गवाही कराने तथा प्रदर्श आदि को समर्पित करने में कठिनाई होती है।

महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निदेश दिया कि गवाहों की क्रमवार उपस्थिति की सूची उपलब्ध करायी जाय, जिससे कठिनाई से बचा जा सके। राज्यसात् संबंधी 02 वादों में अंतिम सुनवाई होने की सूचना श्री चौधरी द्वारा दी गयी। बैठक में उपस्थित श्री विकास कुमार, पुलिस उप–महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई ने एक वाद (विशेष निगरानी ईकाई थाना काण्ड संख्या–01/24) में जमा करने हेतु माह जनवरी, 2025 में भेजा गया पुलिस पेपर माह दिसम्बर, 2025 तक अभियुक्त को नहीं दिये जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। श्री अरुण कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि वाद संबंधी पुलिस डायरी पूर्व में न्यायालय (जहाँ से अन्तरित होकर विशेष न्यायालय में आया है) में ही रह गयी है। जैसे ही डायरी इस न्यायालय में आ जाएगी, पुलिस पेपर दे दिया जाएगा।

अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई ने सभी विशेष लोक अभियोजकों को यह आश्वस्त किया कि उनके द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध/मांग के आलोक में उचित कार्रवाई पूर्व की भांति की जा रही है और भविष्य में भी की जाएगी। साथ ही उनके द्वारा यह आशा भी व्यक्त की गयी कि विशेष निगरानी इकाई की ओर से प्रेषित कागजात/प्रदर्श/गवाह की ससमय उपस्थिति/जमा करा दी जाएगी।

2. **विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) एवं विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों के लंबित वादों की समीक्षा की गयी।

श्री रामबदन कुमार चौधरी, विशेष लोक अभियोजक के पास वर्तमान में 265 वाद लम्बित हैं। उनके द्वारा निष्पादित तीन वादों में एक में दोषसिद्धि, एक में दोषमुक्ति एवं एक में Proceeding Dropped हुआ है। श्री चौधरी ने बताया कि अगली तिमाही में कुल चार वादों के निष्पादन की संभावना है। श्री चौधरी ने बताया कि AOPA के वादों में प्रदर्श नहीं प्रस्तुत किए जाने के कारण वादों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। पिछले तीन माहों में उनके द्वारा 53 गवाही करायी गयी है। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा अगामी तीन माह में एक AOPA के मामले में निर्णय प्राप्त करने की कोशिश किये जाने का अनुरोध किया गया।

Scanned with CamScanner

राज्यसात् संबंधी लंबित वादों की समीक्षा में पाया गया कि श्री सिरूस लाल, विशेष लोक अभियोजक के पास राज्यसात के 02 एवं विचारण के 05 वाद लम्बित हैं। श्री लाल ने बताया कि अगले तिमाही में विचारण के दो वादों का निष्पादन हो सकता है। राज्यसात् के दोनों वाद नवीन हैं और इसमें अभी समय लग सकता है। गवाहों की उपस्थिति हेतु प्रेषित नोटिस की जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा किया गया। साथ ही विचारण वादों की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

श्री जवाहर प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक के पास राज्यसात् के 02 एवं विचारण के 05 वाद लम्बित हैं। राज्यसात् संबंधी उक्त दो में एक वाद बहस हेतु और एक वाद गवाही के स्तर पर हैं, जिनके निष्पादन की संभावना अगले तिमाही में है।

3. **विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना (बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत गठित न्यायालय, प्राधिकृत पदाधिकारी एवं विशेष न्यायालय) विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत गठित)** में कार्यरत विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा की गयी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक के पास वर्तमान में 126 वाद लम्बित हैं। वर्तमान तिमाही में उनके द्वारा एक वाद का निष्पादन कराया गया है, जो Contested Proceeding Dropped है। लम्बित वादों की संख्या के तुलना में निष्पादित वादों की संख्या बहुत कम रहने पर संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया।

डॉ० श्रद्धानन्द पासवान, विशेष लोक अभियोजक के समक्ष लम्बित वादों में से एक भी वाद का निष्पादन नहीं होने पर निराशा व्यक्त की गयी। डॉ० पासवान के पास वर्तमान में 88 वाद लम्बित हैं।

श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद, विशेष लोक अभियोजक के पास वर्तमान में कुल 53 वाद लम्बित हैं। श्री प्रसाद द्वारा पिछले तिमाही में दो वादों का निष्पादन कराया गया। एक वाद में दोषसिद्धि एवं दूसरे वाद में Proceeding Dropped का आदेश दिया गया है। श्री प्रसाद द्वारा आगामी तिमाही में तीन वादों के परिपक्व (Mature) होने की संभावना व्यक्त की गयी। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा अननुपातिक सम्पत्ति (DA) संबंधी वादों पर भी ध्यान देने का निदेश श्री प्रसाद को दिया गया।

श्री किशोर कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक वर्तमान में कुल 116 वाद लम्बित हैं। उनके द्वारा कुल 03 (तीन) वादों का निष्पादन कराया गया है, जिसमें दोषसिद्धि हुई है। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि ट्रैप के मामलों के अधिकाधिक निष्पादन हेतु प्रयास किया जाय।

श्री विजय भानु, विशेष लोक अभियोजक वर्तमान में कुल 77 वाद लम्बित हैं। उनके द्वारा पिछले तिमाही में कुल 04 (चार) वादों का निष्पादन कराया गया है, जिसमें दोषसिद्धि हुई है। संयुक्त सचिव (विधि) द्वारा उक्त उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

श्री रितेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा पूर्व तिमाही में 01 (एक) वाद का निष्पादन कराया गया है। वर्तमान में उनके पास कुल 83 वाद लम्बित हैं। उक्त निष्पादित वाद में अभियुक्त को दोषी पाया गया है। अगली तिमाही में कुछ वादों के निष्पादित कराए जाने हेतु श्री रितेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक द्वारा आश्वस्त कराया गया।

Scanned with CamScanner

श्री अमर नाथ पाठक, विशेष लोक अभियोजक के पास वर्तमान में कुल 137 वाद लम्बित हैं। उनके द्वारा 01 (एक) वाद का निष्पादन कराया गया, जिसमें अभियुक्त को माननीय निगरानी न्यायालय, पटना द्वारा दोषी पाया गया है। 04 (चार) वाद अन्तरित किए गए हैं और अगले तिमाही में तीन वादों के निष्पादन की संभावना श्री पाठक द्वारा व्यक्त की गयी।

राज्यसात् संबंधी लंबित वादों की समीक्षा में पाया गया कि श्री राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक के पास राज्यसात् के 29 एवं विचारण (DA) संबंधी 67 मामले लम्बित हैं। श्री कुमार द्वारा विगत तीन माह में अधिहरण का 01 (एक) मामला निष्पादित किया गया है। श्री कुमार द्वारा बताया गया कि राज्यसात् संबंधी एक वाद निर्णय के स्तर पर है, जो विशेष निगरानी इकाई के थाना कांड से उद्भूत है। एक वाद में अभिलेख खो गया है तथा एक वाद संबंधी केस डायरी अपठनीय है। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बैठक में उपस्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के विधि पदाधिकारी श्री प्रत्यूष कुमार को उक्त वाद की एक स्वच्छ प्रति हस्तगत कराने का निदेश दिया गया। श्री राजेश कुमार ने आगे बताया कि वर्तमान माह में कुल 07 गवाही हुई है। विचारण संबंधी लम्बित वादों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए श्री कुमार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर विचारण वादों के निष्पादन का निदेश दिया गया।

श्री ब्रजेश्वर कुमार सिन्हा, विशेष लोक अभियोजक बैठक में अनुपस्थित थे। उनका प्रतिनिधित्व कनीय अधिवक्ता श्री महेश चन्द्र द्वारा किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि श्री सिन्हा के पास राज्यसात् के 01 एवं विचारण के 04 वाद लम्बित हैं। राज्यसात् के इस एकमात्र वाद में Day to day सुनवाई हो रही है। कनीय अधिवक्ता द्वारा विचारण वादों के संबंध में मुहरबंद कागजात (Sealed Document)/सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं होने की सूचना दी गयी। महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के विधि पदाधिकारी को निदेश दिया कि विशेष वाद संख्या–70/2007 एवं 102/2006 आदि में मुहरबंद कागजात श्री सिन्हा को प्राप्त करा दिया जाए।

बैठक में उपस्थित महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार ने बैठक में शामिल सभी को सम्बोधित करते हुए यह सूचित किया कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक वाद (29) निष्पादित हुए हैं और उसमें 28 वाद विशेष न्यायालय, निगरानी, पटना द्वारा निष्पादित है। पीठासीन पदाधिकारी के पदासीन रहने तथा अन्य समान आवश्यक सहयोग रहने पर भी **वर्ष 2025 में भागलपुर स्थित न्यायालय में लम्बित वादों में से मात्र एक वाद एवं मुजफ्फरपुर स्थित न्यायालय में लम्बित वादों में से एक भी वाद का निष्पादन नहीं हुआ है।** उन्होंने यह भी बताया कि अभियुक्तों की दोषमुक्ति (Acquittal) गुण–दोष के आधार (Merit) पर नहीं होकर तकनीकी कारणों से हो रही है, जिसपर ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है।

अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा बताया गया कि तुलनात्मक रूप से वर्तमान वर्ष में अधिक वादों का निष्पादन हुआ है, किन्तु लम्बित वादों की अधिक संख्या एवं विशेष लोक अभियोजकों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए निष्पादित वादों की संख्या बहुत कम है। अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि पीठासीन पदाधिकारियों के पदस्थापन के लिए कार्रवाई की गयी है तथा अतिरिक्त न्यायालयों के गठन के लिए भी उचित स्तर पर अनुरोध किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव द्वारा पूर्व के बैठकों की तरह पुनः सभी विशेष लोक अभियोजकों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा याचित/वांछित किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए निगरानी विभाग तैयार है और वादों के उचित एवं अधिकाधिक निष्पादन की आशा रखता है। साथ ही उन्होंने विशेष लोक अभियोजकों को निदेश दिया कि वादों के संबंध में स्वयं गहनता से अध्ययन कर एक–एक बिन्दु पर स्पष्ट होने के पश्चात् माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष रखें ताकि अपना पक्ष सुगम एवं स्पष्ट रूप से रखा जा सके।

Scanned with CamScanner

विमर्शोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

- जिन वादों में साक्षियों की संख्या अत्यधिक है उन वादों में अनुसंधान पदाधिकारी सहित महत्वपूर्ण साक्षियों को प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दिया जाए।
- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो तथा विशेष निगरानी इकाई द्वारा सभी लंबित नोटिस का तामिला कराने, अभियोजन स्वीकृति एवं घोषणा–पत्र हेतु लंबित मामलों में शीघ्र कार्रवाई की जाय।
- विशेष निगरानी न्यायालयों यथा पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–सीमाबद्ध (Time Bound) विचारण/अन्य संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाय।
- विशेष न्यायालय, निगरानी, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में वादों के निष्पादन में हो रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर के विशेष लोक अभियोजकों के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया।
- अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आरोप (Charge) के स्तर पर ही अभियुक्त के उन्मोचित (Discharge) किये जाने के कारणों की गहराई से जाँच किया जाए। संबंधित विशेष लोक अभियोजक/विधि पदाधिकारी इस संबंध में उन त्रुटियों को इंगित करते हुए एक प्रतिवेदन संबंधित जाँच एजेंसी को दें, जिनका निराकरण अनुसंधान पदाधिकारियों द्वारा अनुसंधान में किया जा सके।
- प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक द्वारा 5, 10 एवं 15 वर्ष पुराने वादों में से तीन–तीन वैसे वादों की सूची निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/विशेष निगरानी इकाई को अपेक्षित कार्रवाई हेतु स्पष्ट रूप से गवाहों के नाम सहित प्राप्त कराया जाएगा, जिनमें अगले तीन माह में निर्णय प्राप्त होने की संभावना हो।
- जिन वादों में निर्णय (Judgment) अंतिम हो चुका है, उन वादों से संबंधित प्रदर्शों को नष्ट करने हेतु न्यायालय से प्रार्थना कर आदेश प्राप्त किया जाय।
- लंबित वादों के अनुश्रवण हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्रत्येक माह विशेष लोक अभियोजकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाए।
- विशेष लोक अभियोजक/कनीय अधिवक्ता अपना दैनिक शुल्क विपत्र ससमय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/विशेष निगरानी इकाई के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- अन्त में अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग द्वारा निगरानी वादों के त्वरित निष्पादन हेतु साक्षियों को प्रस्तुत कर वादों को परिपक्व (Matured) कर बहस तक पहुँचाने हेतु निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई को अभियोजन शाखा को सक्रिय करते हुए लंबित वादों का अनुश्रवण (Follow Up) करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

5/1/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner